12|12|19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों
को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम
बारांजुई तह. ओसियां की भूमि ख.नं. 633 की करीब
दो बीघा भूमि पर अपीलांट, जो गाडोलिया लुहार है,
42 वर्ष पूर्व ख.नं. 633 में ग्रामवासियों तथा तत्कालीन
सरपंच ने बसाया, जिसके पिछले 12 वर्षों से उसका
कब्जा चला आ रहा है। उसने अपने आवासीय
पट्टियों में बिजली पानी के कनेक्शन भी 8 वर्ष
से पूर्व ले रखे है। इस भूमि के उत्तर में
स्कूल आई हुई है जिसे ख.नं. 633/5 में

१ ज०

अपील सं० 14/2014 RAA. JODHPUR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चिमाराम v/s सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/19	रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा शिक्षा विभाग के नाम से आवंटित करने से उनके नाम दर्ज होना पाई गई। इस रकबे में शेष 13 बीघा भूमि ख.नं० 633/2 रही है। वह वादग्रस्त भूमि में अपने कब्जे की 2 बीघा भूमि राज्य सरकार के इनके कब्जे को नियमन करने के दि. 3-7-71 व 23-4-77 के आदेश हैं। वह कब्जे वाली भूमि का नियमन कराने का पात्र है। जिसके अपील स्वीकार कर अपीलाधीन भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों और दलीलों का विरोध किया। इन्होंने अवगत कराया कि अनाधिवासित राजकीय सिवाय चक भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1963 के तहत जिला कलक्टर जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारां कुई के लिए 4-10 बीघा भूमि आवंटित की है जो नियमानुसार एवं न्यायोचित सही की है। अपीलार्थी केवल अतिक्रमी की हैसियत रखता है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर भी पेश की है और अपीलांट को मौके पर भूमि के आवंटन की पूरी ही उस आवंटन बाबत भलीभांति जानकारी भी फिर भी इतने [illegible] पश्चात् अपील पेश की है जो मियाद से बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट ने धारा 5 CPC का आवेदन भी पेश नहीं किया है ताकि उस पर बिना अपील अनुमति प्रदान की जा सके। इसलिए भी बिना अनुमति अपील संधारण योग्य ही नहीं है। अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2001 के दौरान स्कूल हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें उक्त भूमि ख.नं० 633/2 रकबा 5-03 बीघा में से 4-10 बीघा भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारां कुई के भवन व चारदीवारी प्रयोजनार्थ आवंटन की सिफारिश एवं मांगपत्र ग्राम पंचायत ने की। [illegible] के प्रस्ताव पर जांच कर विधिवत तहसीलदार ओसियां ने परीक्षणोपरांत रिपोर्ट मय चैक लिस्ट जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित की जिसमें प्रस्तावित भूमि आवंटन को उचित बताया गया। इस रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी व भू.अ. निरीक्षक ओसियां की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, जो रिपोर्ट के बिंदु नं.2 में अंकित है।	

P.T.O. [signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ग्राम पंचायत बारांजुई ने भी सर्वसम्मति से दि. 9.12.2001 को प्रस्ताव सं० 1 पास किया है जो मूल ही पत्रावली में उपलब्ध है। रिकॉर्ड के अवलोकन एवं रिपोर्टस के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट प्रत्यक्ष रूप से, मौके पर उपलब्ध वाली भूमि आवंटन किये जाने के कारण, वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। वह एक अवैध अतिक्रमी की हैसियत से कुछ भूमि पर काबिज रहा जिसके विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही की गई है। आवंटन सार्वजनिक एवं नियमानुसार हुआ है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता दृष्टिगोचर नहीं होती। आवंटन के पश्चात् 12 वर्ष से भी अधिक अवधि के अन्तराल पर अपील पेश की है जो मियाद बाहर है और विलम्ब के लिए बताया कारण संतोषजनक नहीं है। अपीलांट 2 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन कराने का भी अधिकारी नहीं है। इसके अलावा भी वादग्रस्त भूमि में शेष 12 बिस्वा भूमि उपलब्ध है जो अपीलांट यदि पात्र है तो उसके पक्ष में नियमन कराने के लिए वह नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। रा.उ.प्रा.वि. स्कूल की शाला के लिए जो मापदण्ड है उससे भी कम भूमि आवंटित की गई है इसलिए इसको खारिज करना कतई न्यायसंगत एवं तार्किक नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नियमानुसार, मापदण्ड के भीतर एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधी० न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे।

[illegible] अधिकारी
[illegible]पुर